पुरस्कार प्रदाता संस्थाओं की मान्यता और नियमन के लिए दिशानिर्देश 2020

एनसीवीईटी

कौशल गुणवत्ता प्रगति

राष्ट्रीय व्यवसाय व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद

(कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय) कौशल भवन, करोलबाग

नई दिल्ली 110005

प्रस्तावना

कोई भी विकासशील और अग्रगामी अर्थव्यवस्था अनेक क्षेत्रों के योगदान से अपना सामर्थ्य प्राप्त करती है, जो अंततः प्रमुख रूप से इन सेक्टरों में कार्यरत कुशल जनशक्ति द्वारा संचालित होती है। आज, हमारा देश एक बढ़ती हुई युवा आबादी से परिपूर्ण है और अर्थव्यवस्था में इस जनसांख्यिकीय लाभांश का समुचित दोहन उनकी आकांक्षाओं को सुविधा प्रदान करके किया जा सकता है। भारत में कौशलीकरण ने लंबे समय से विकास में योगदान दिया है, जो विनिर्माण तथा सेवाओं जैसे बेहतर क्षेत्रों की बेहतर वृद्धि दर में प्रतिबिंबित होता है। कौशली करण वृद्धि में समावेशिता भी प्रदान करता है जो अनेक लोगों के समग्र विकास को सक्षम बनाती है।

भारत सरकार ने 2018 में इस क्षेत्र में सतत और कारगर परिणामों की प्राप्ति के लिए कौशलीकरण के क्षेत्र में एक विनियामक के रूप में राष्ट्रीय व्यवसाय व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को अधिसूचित किया था। यह विनियामक देश में अवॉर्डिंग संस्थाओं की गुणवत्ता, प्रक्रियाओं और निगरानी प्रणालियों में मानकीकरण लाने का प्रयास करेगा।

यह दस्तावेज ऐसे दिशा-निर्देशों को प्रस्तुत करता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए अवॉर्डिंग संस्थाओं द्वारा स्व-विनियमन स्वर विनियमन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ गतिशील, प्रगतिशील और परिणामोन्मुख हैं। इन दिशा-निर्देशों का संचालन नियमावली प्रक्रियाओं और मापदंडों का अधिक विवरण प्रदान करता है, जो सभी सेक्टरों में कुशल उम्मीदवारों का प्रमाणन करने वाले निकायों के विनियमन को सुदृढ़ बनाएगा।

मैं इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन और अवॉर्डिंग संस्थाओं के प्रगतिशील विनियमन के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, जो देश में कौशलीकरण परिणाम प्रदान करने वाले प्राथमिक संस्थानों के रूप में कार्य करते हैं। मैं एमएसडीई के सचिव और एनसीवीईटी के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार को उनके सक्षम नेतृत्व तथा एनसीवीईटी की कार्यकारी सदस्य, सुश्री विनीता अग्रवाल एवं उनकी टीम को उनके अथक प्रयासों तथा इन दिशानिर्देशों को तैयार करने में हितधारकों को व्यापक परामर्श देने के लिए भी बधाई देता हूँ।

डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री
भारत सरकार

प्राक्कथन

कौशल विकास न केवल प्रगति ही नहीं बल्कि समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए समान और समावेशी माध्यम के रूप में कार्य करता है। पिछले दशक में कौशल विकास के विशिष्ट विषय के बारे में नीति को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए भारत सरकार में कौशल विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। इसे अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के कौशल विकास संस्थानों में सुधारों के साथ आगे बढ़ाया गया। 2018 में, सरकार द्वारा एनसीवीईटी को इस क्षेत्र में एक व्यापक नियामक के रूप में अधिसूचित किया गया था।

नियामक से उम्मीद की जाती है कि वह परिणामों में सुधार और प्रक्रियाओं को मानकीकृत करके प्रणाली में गुणवत्ता स्थापित करेगा। विभिन्न एनएसक्यूएफ स्तरों पर कुशल उम्मीदवारों को प्रमाणित करने वाले अवार्डिंग संस्थाओं को मान्यता देना और विनियमित करना नियामक के प्रमुख कार्यों में से एक है। ऐसे संस्थानों की निरंतर संबद्धता के लिए एनसीवीईटी से मान्यता और आगे की निगरानी इस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदर्शन के स्थूल ढांचे को स्थापित करने के कारण महत्वपूर्ण है।

अवार्डिंग संस्थाओं की मान्यता और नियमन के लिए बनाए गए दिशानिर्देश एनसीवीईटी टीम द्वारा किए गए एक कठोर और विस्तृत अभ्यास का परिणाम हैं। निरंतर प्रतिक्रिया प्राप्त करने और उनमें सुधार करने के लिए विभिन्न प्रकार के हितधारकों और भागीदार संगठनों के साथ विस्तृत परामर्श का दौर आरंभ किया गया। इसके दिशानिर्देश कुशल होने के इच्छुक उम्मीदवार को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक प्रगतिशील परिवर्तनों को शामिल करते हुए और मौजूदा प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।

मुझे पूरा विश्वास है कि इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से जो सुधार और प्रतिमान परिवर्तन स्थापित होंगे, वे कौशल क्षेत्र में परिवर्तन लाने वाले सिद्ध होंगे।

प्रवीण कुमार

अध्यक्ष, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद

और सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

भारत सरकार

आभार स्वीकार

अवार्डिंग संस्थान कौशल परिणामों में सुधार के प्राथमिक संस्थान के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान नियामक संरचना को ऐसे मजबूत और स्पष्ट उपकरणों के साथ लाना आवश्यक था जो प्रभावी रूप से एक स्पष्ट दिशा प्रदान करने के साथ-साथ इन निकायों के कामकाज के लिए लोच बनाए रखने की अनुमति दें। एनसीवीईटी द्वारा विकसित 'अवार्डिंग संस्थाओं की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश' और इसकी 'संचालन नियमावली' इस भूमिका को पूरा करने का प्रयास करते हैं।

इन दिशानिर्देशों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ बातचीत और मौजूदा अवार्डिंग निकायों, राज्य कौशल विभागों और कौशल विकास मिशनों, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, उद्योग आदि के साथ हितधारकों से परामर्श के बाद विकसित किया गया है। आगे इन दिशानिर्देशों को सार्वजनिक जांच के लिए रखा गया था और प्राप्त टिप्पणियों की जांच की गई है तथा तदनुसार शामिल किया गया है।

मैं एनसीवीईटी के अध्यक्ष और एमएसडीई के सचिव, श्री प्रवीण कुमार को उनके दृष्टिकोण और इन दिशानिर्देशों के विकास में निरंतर मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए डीएफआईडी, यूके के समर्थन और एनसीवीईटी के सलाहकारों की टीम, श्री शौर्य संगम, श्री लव भारद्वाज, सुश्री सारिका दीक्षित और श्री सुमित कुमार के मेहनती प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं सभी हितधारकों की रचनात्मक टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओ के लिए भी आभारी हूँ, जिनसे इन दिशानिर्देशों को मजबूत करने में सहायता मिली।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये दिशानिर्देश मौजूदा व्यवस्था में एक प्रगतिशील बदलाव को प्रेरित करेंगे और हमें कौशल में अधिक परिणामोन्मुख और कुशल पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिमान की ओर ले जाएंगे।

विनीता अग्रवाल

कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी और वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार,

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

शब्दावली

एए	आकलन एजेंसी
एबी	अवार्डिंग संस्था (पुरस्कार देने वाला निकाय)
एआई	कृत्रिम बुद्धिमत्ता
एटीआर	कार्रवाई की गई रिपोर्ट
बी.वोक.	व्यावसायिक स्नातक
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीओओ	मुख्य परिचालन अधिकारी
सीपीडी	सतत व्यावसायिक विकास
सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी
डीजीटी	प्रशिक्षण महानिदेशालय
एफसीआरए	विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम
जीओआई	भारत सरकार
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
एचआर	मानवीय संसाधन
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
केपीआई	मुख्य निष्पादन संकेतक
केआरए	प्रमुख जिम्मेदारी क्षेत्र
एलएलपी	सीमित देयता भागीदारी
एम एंड ई	निगरानी और मूल्यांकन
एमओएम	बैठक के कार्यवृत्त
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमएसडीई	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
एनसीवीईटी	व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद
एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद
एनक्यूआर	राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर
एनएसडीए	राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी
ओजेटी	नौकरी में प्रशिक्षण
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
पीओएसएच	यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए नीति
पीडब्ल्यूडी	विकलांग व्यक्ति
क्यूए	गुणवत्ता आश्वासन
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
एसपीओसी	संपर्क का एकल बिंदु
टीसी	प्रशिक्षण केंद्र
टीओए	मूल्यांकनकर्ताओं का प्रशिक्षण
टीओटी	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
टीपी	प्रशिक्षण साथी
टीवीएटी	तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण

विषय-वस्तु

1. खंड 1: परिचय

1.1. एनसीवीईटी- एक सिंहावलोकन 01

1.2. पुरस्कार देने वाली संस्था 01

1.2.1. परिभाषा 01

1.2.2. प्रकार 02

1.2.3 कार्य 02

1.2.4. विभिन्न हितधारकों के साथ निकाय प्रदान करने का संबंध 02

2. खंड 2: भौतिक दिशा-निर्देश प्रदान करना

2.1. दृष्टि (विजन) 04

2.2. उद्देश्य 04

2.3. स्कोप 04

2.4. संरचना 05

2.5. फीचर्स 05

3. खंड 3: अवार्डिंग निकायों की मान्यता

3.1. मान्यता को परिभाषित करना 08

3.2. मान्यता का दायरा 08

3.3. एक मान्यता प्राप्त पुरस्कार निकाय होने का लाभ 08

3.4. मान्यता की श्रेणियां 09

3.5. प्रक्रिया 10

3.6. शुल्क 11

3.7. पुरस्कार देने वाली संस्था की मान्यता का कार्यकाल 11

3.8. निलंबन/पहचान रद्द करना 12

3.9. पात्रता मानदंड की सूची 12

3.10. विभिन्न पुरस्कृत निकायों के लिए मानदंड की प्रयोज्यता 20

4. खंड 4: निगरानी और मूल्यांकन

4.1. उद्देश्य 21

4.2. तंत्र 21

4.3. निगरानी के लिए निरंतरता मानदंड/पैमाना 23

4.4. जोखिम मूल्यांकन ढांचा 30

4.5. जोखिम रेटिंग 31

4.6. जोखिम न्यूनीकरण 31

4.7. रिपोर्टिंग 32

अवार्डिंग संस्थाओं की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश

खंड 1: परिचय

1.1. एनसीवीईटी- एक सिंहावलोकन

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को 5 दिसंबर 2018 को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा अधिसूचित किया गया था। एनसीवीईटी एक व्यापक कौशल नियामक के रूप में कार्य करेगी जो लंबी और छोटी दोनों अवधि के व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में शामिल संस्थाओं के कामकाज को विनियमित करेगी और ऐसी संस्थाओं के कामकाज के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करेगी। एनसीवीईटी के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. अवार्डिंग संस्थाओं (एबी), मूल्यांकन एजेंसियों (एए) और कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं की मान्यता और विनियमन

ख. योग्यता की स्वीकृति

ग. मान्यता प्राप्त संस्थाओं की निगरानी और पर्यवेक्षण

घ. शिकायतों का निपटारा

एनसीवीईटी द्वारा ध्यान दिए जाने वाले मुध्य क्षेत्रों में से एक है एबी पारिस्थितिकी तंत्र का विनियमन, जो कई नियामकों और गैर-मानक मानदंडों के अस्तित्व को देखते हुए गुणवत्ता के मुद्दों और प्रशिक्षण के खराब परिणामों के लिए अग्रणी है। एनसीवीईटी खंडित नियामक प्रणाली को एकीकृत करने और संपूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण मूल्य श्रृंखला में गुणवत्ता आश्वासन देने का प्रयास करेगा, जिससे परिणाम ठोस होंगे।

अवार्डिंग संस्थाओं (पुरस्कृत करने वाले निकायों) के विनियमन के लिए, दस्तावेज़ों के दो सेट विकसित किए गए हैं- अवार्डिंग संस्थाओं (पुरस्कृत करने वाले निकायों) के लिए दिशानिर्देश और संचालन नियमावली। अवार्डिंग संस्थाओं (पुरस्कृत करने वाले निकायों) के लिए दिशानिर्देश संबद्धता के मानदंडों की रूपरेखा तैयार करते हैं, जबकि संचालन नियमावली अवार्डिंग संस्थाओं (पुरस्कृत करने वाले निकायों) की मान्यता के लिए विस्तृत कार्यान्वयन प्रक्रिया, निगरानी तंत्र और दस्तावेजी साक्ष्य के उस भंडार का विवरण देती है, जो अवार्डिंग संस्थाओं (पुरस्कृत करने वाले निकायों) प्रारंभिक मान्यता के लिए आवश्यक होगा। यह दस्तावेज़ पुरस्कार देने वाले निकायों की मान्यता के लिए दिशा-निर्देशों को स्पष्ट करता है।

1.2. पुरस्कार देने वाली संस्था

1.2.1. परिभाषा

यदि कोई इकाई गुणवत्ता प्रशिक्षण और विश्वसनीय मूल्यांकन सुनिश्चित करके प्रशिक्षुओं को एक अनुमोदित योग्यता के लिए प्रमाणन प्रदान करती है या प्रदान करने का प्रस्ताव करती है, तो उसे एक अवार्डिंग निकाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

1.2.2. प्रकार

क. सरकारी संस्थान

- केंद्रीय मंत्रालय
- राज्य विभाग
- सरकार द्वारा स्थापित अन्य निकाय।

ख. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी)

ग. क्षेत्र कौशल परिषद

घ. कौशल विश्वविद्यालय

ङ. स्कूल बोर्ड

च. निजी निकाय

1.2.3. कार्य

<u>महत्वपूर्ण कार्य</u>

क. स्वीकृत योग्यताओं में शिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र देना।

ख. योग्यताओं और संबंधित शिक्षण सामग्री का निर्माण।

ग.प्रशिक्षण भागीदारों और संबद्धता/मान्यता के विकास प्रशिक्षण भागीदारों के लिए संबद्धता/मान्यता मानदंडों का विकास।

घ. पूर्व निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्पक्ष और विश्वसनीय मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए ऑन-बोर्डिंग मूल्यांकन एजेंसियां।

ङ. प्रशिक्षण भागीदारों और मूल्यांकन एजेंसियों के कामकाज की निगरानी करना।

अन्य कार्य

च. शिकायतों के निवारण की एक प्रणाली स्थापित करना।

छ. कौशल से संबंधित सूचना प्रदाताओं को आवश्यकतानुसार और मान्यता प्रदान करने वाले समझौते के अंतर्गत ऐसी जानकारी जमा करना।

ज. प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए मानदंड विकसित करना।

झ. परिषद की गतिविधियों के किसी भी निरीक्षण, जांच या लेखा परीक्षा में सहयोग करना।

1.2.4. विभिन्न हितधारकों के साथ पुरस्कार देने वाली संस्था (एबी) का संबंध

क्रम सं.	हितधारक	एबी के साथ संबंध की शर्तें
1	एनसीवीईटी	एनसीवीईटी अपने द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार एबी को मान्यता देगा और विनियमित करेगा
2	प्रशिक्षण इकाई	प्रशिक्षण इकाई को एबी द्वारा संबद्धता/मान्यता प्राप्त होगी

	(टीई)	और वह इसकी देखरेख में कार्य करेगी। एबी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षण इकाई एनसीवीईटी के व्यापक दिशानिर्देशों और एबी के संबद्धता/मान्यता मानदंडों का पालन करती है।
3	आकलन एजेंसी (एए)	एए को एनसीवीईटी द्वारा मान्यता दी जाएगी। एए को एनसीवीईटी से मान्यता प्राप्त एए के पूल से मान्यता प्राप्त एबी द्वारा ऑन-बोर्ड किया जाएगा। एबी, अन्य बातों के साथ, एए की दैनिक निगरानी, विस्तृत मूल्यांकन मानदंड और टीओए के लिए जिम्मेदार होंगे। एबी और एए के बीच के संबंध भी एनसीवीईटी द्वारा अलग से जारी एए दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित होंगे।
4	कौशल सूचना प्रदाता* (एसआईपी)	एसआईपी मान्यता प्राप्त निकायों, प्रशिक्षण निकायों और प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं से संबंधित जानकारी मांगेगा, एकत्र करेगा और प्रकाशित करेगा

**एसआईपी एनसीवीईटी से मान्यता प्राप्त संस्था है जिसे सार्वजनिक रूप से सुलभ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने, प्रकाशित करने के लिए अनिवार्य है।*

खंड 2 : भौतिक दिशा-निर्देश प्रदान करना

2.1. दृष्टि (विज़न)

'अवार्डिंग संस्थाओं (पुरस्कृत करने वाले निकायों) को मान्यता देना और विनियमित करना और उन्हें कौशल वास्तुकला/पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की प्राथमिक जवाबदेही सौंपना, जिससे प्रगतिशील स्व-विनियमन, प्रत्यायोजित जिम्मेदारी और निरंतर निगरानी के आधार पर गुणवत्तापूर्ण अधिगम परिणाम प्राप्त हों।'

2.2. उद्देश्य

अवार्डिंग संस्थाओं (पुरस्कृत करने वाले निकायों) दिशानिर्देशों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

i. एबी की मान्यता के लिए मानदंडों का मानकीकरण
ii. एबी के कार्यक्षेत्र और कार्यों को परिभाषित करना
iii. एबी के संचालन में गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करना
iv. निरंतर सुधार के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली निर्मित करना

एनसीवीईटी द्वारा 'अवार्डिंग संस्थाओं (पुरस्कृत करने वाले निकायों) की मान्यता और विनियमन के दिशानिर्देश' को एबी दिशानिर्देशों के रूप में भी जाना जाता है, कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में एबी के लिए परिकल्पित संचालन और परिणामों को मानकीकृत करने का एक प्रयास है। दिशानिर्देश कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को पहचानने और मानकों और प्रक्रियाओं में समानता के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन की एक प्रणाली बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिससे परिणामों में स्थिरता आती है।

2.3. दायरा

एनसीवीईटी अधिसूचना संख्या के एसडी-17/113/2017-ईएंडपीडब्ल्यू का अनुच्छेद 2 कहता है- "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के विकास, गुणात्मक सुधार और विनियमन, अवार्डिंग संस्थाओं, मूल्यांकन एजेंसियों, कौशल सूचना प्रदाताओं और प्रशिक्षण निकायों को मान्यता देने और इनके कामकाज की निगरानी करने का कार्य और इस संकल्प में निर्दिष्ट अन्य प्रासंगिक कार्यों को सौंपा जाएगा।

तदनुसार, यह वांछनीय है कि सभी अवार्डिंग संस्थाओं (पुरस्कृत करनेवाले निकायों) को बेहतर गुणवत्ता और स्वीकार्यता के लिए एनसीवीईटी दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता दी जाए। हालांकि, सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करने के लिए, संबंधित अवार्डिंग संस्था (पुरस्कृत करनेवाले निकाय) की एनसीवीईटी मान्यता अनिवार्य होगी। मान्यता प्राप्त एबी के लिए यह भी अनिवार्य होगा कि वह केवल मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसियों का ही मूल्यांकन करे।

2.4. संरचना

अवार्डिंग संस्थाओं को दिशानिर्देश पारिस्थितिकी तंत्र में लचीलेपन को बनाए रखने के लिए संरचित किया गया है और यह सुनिश्चित करते हैं कि एनसीवीईटी प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाने वाली योग्यताएं मांग आधारित बाजार-उन्मुख योग्यताएं हैं। अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, एनसीवीईटी मानकों और प्रक्रियाओं में समानता सुनिश्चित करने और एबी के संचालन पर केंद्रीय निगरानी नियंत्रण स्थापित करके एबी की मान्यता देखरेख कर और उसे सुव्यवस्थित करके अवार्डिंग संस्थाओं के पारिस्थितिकी तंत्र का विनियमन आरंभ करेगा। एबी दिशानिर्देश पात्रता मानदंड और निरंतरता मानदंड के रूप में संरचित हैं। पात्रता मानदंड यह सुनिश्चित करेगा कि एबी बाजार से संबंधित पाठ्यक्रम और प्रमाणन प्रदान करने के लिए आवश्यक स्थायी क्षमता प्रदर्शित करता है।निरंतरता मानदंड निगरानी और मूल्यांकन मापदंडों के खिलाफ अवार्डिंग संस्थाओं के प्रदर्शन के आधार पर उनकी निरंतरता सुनिश्चित करेगा।

पात्रता मानदंड मापदंडों का एक ऐसा समूह है जो एनसीवीईटी के साथ सहयोग के संदर्भ की शर्तों को परिभाषित करते हुए मान्यता के लिए बुनियादी न्यूनतम संगठनात्मक आवश्यकताएं निर्धारित करता है।

निरंतरता मानदंड का उद्देश्य एबी के संचालन की प्रक्रियाओं में गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करना है। ऐसे मानदंडों के आधार पर एक जोखिम मूल्यांकन ढांचा तैयार किया गया है ताकि जोखिम की उस श्रेणी का पता लगाया जा सके जिसके अंतर्गत एक निश्चित समय पर एबी आ सकता है। जोखिम का ऐसा वर्गीकरण एनसीवीईटी और एबी दोनों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को तय करेगा।

पात्रता मानदंड और निरंतरता मानदंड के रूप में सूचीबद्ध पैरामीटर अनिवार्य प्रकृति के हैं। एनसीवीईटी से मान्यता प्राप्त एबी के लिए समय-समय पर एनसीवीईटी द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि, एबी की विभिन्न श्रेणियों के लिए पात्रता की प्रयोज्यता में किए गए कुछ बदलाव एबी दिशानिर्देशों के खंड/अनुच्छेद 3.10 में दर्शाए गए हैं।

एक संस्था द्वारा मान्यता के लिए आवेदन की प्रक्रिया, एनसीवीईटी द्वारा ऐसे आवेदनों की जांच, निगरानी और मूल्यांकन के साथ समय-सीमा और प्रासंगिक टेम्पलेट दिशानिर्देशों का संचालन नियमावली में विस्तृत वर्णन किया गया है।

2.5. विशेषताएं

एबी दिशानिर्देश, व्यवस्था से मौजूदा अप्रासंगिक योग्यताओं को हटाने के लिए नियमों को आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास भी है। एनसीवीईटी एक ऐसी प्रणाली लाकर मूल्यांकन और प्रशिक्षण कार्यों को अलग करना चाहता है, जो यह सुनिश्चित करे कि पुरस्कार, प्रशिक्षण और मूल्यांकन कार्य पहुँच के भीतर हैं। एनसीवीईटी एक नियामक के रूप में मानकीकृत राष्ट्रीय मानदंडों के माध्यम से विश्वसनीयता और गुणवत्ता का एक पुरस्कृत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे एबी में सर्वश्रेष्ठ की पहचान और प्रचार हो सके। इसे एबी की जोखिम रेटिंग के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।

एबी प्रशिक्षण मूल्य श्रृंखला में कई महत्वपूर्ण चरणों को प्रभावित करते हैं। इसलिए, अवार्डिंग संस्थाओं के दिशानिर्देश, इनके संचालन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपने अधीन काम करने वाले तृतीय-पक्ष एजेंसियों के लिए भी सिफारिशें करते हैं। अवार्डिंग संस्थाओं को केवल एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित योग्यता के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए मान्यता दी जाएगी। एनसीवीईटी की कुछ प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

i. स्व-विनियमन

एनसीवीईटी स्व-निगरानी और सुधार की संस्कृति को विकसित कर, एक स्व-विनियमित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की कल्पना करता है। एबी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संचालन पर नियंत्रण रखें और अपनी मान्यता अवधि के दौरान निरंतर आत्म सुधार और जोखिम शमन योजना/योजनाएं बनाएं। एनसीवीईटी एबी के दैनन्दिन संचालन में हस्तक्षेप या विनियमन नहीं करेगा, या दूसरे शब्दों में मान्यता प्राप्त एबी एनसीवीईटी के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं होंगे।

ii. प्रत्यायोजित विनियमन

एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त एबी प्रशिक्षण मूल्य श्रृंखला में कई महत्वपूर्ण चरणों को प्रभावित करते हैं। अतएव, एबी दिशानिर्देश अपने संचालन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपने अधीन काम करने वाली साझेदार एजेंसियों/संस्थाओं के लिए भी सिफारिशें निर्धारित करते हैं। एनसीवीईटी एबी के साथ काम करने वाली साझेदार एजेंसियों/संस्थाओं पर सीधे नियंत्रण और निगरानी नहीं करेगी। यह सुनिश्चित करना एबी की जिम्मेदारी होगी कि भागीदार एजेंसियां/संस्थाएं एबी के दिशानिर्देशों की सिफारिशों का पालन करें। ऐसे प्रत्यायोजित नियम एबी दिशानिर्देशों का पालन न करने के मामलों में भागीदार एजेंसियों/संस्थाओं के खिलाफ दंडात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एबी को सशक्त बनाते हैं।

iii. बाजार संचालित विनियमन

एनसीवीईटी दिशानिर्देश एक मान्यता प्राप्त एबी के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में उद्योग की भागीदारी को अनिवार्य करता है, ताकि ऐसे सभी कार्यों के परिणाम बाजार के लिए प्रासंगिक हों। यह सुनिश्चित करेगा कि एनसीवीईटी प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाने वाली योग्यताएं मांग आधारित और बाजारोन्मुखी हों और साथ ही सिस्टम से अप्रासंगिक योग्यताओं को हटा दिया जाए।

iv. घेराबंदी

एनसीवीईटी एक ऐसी प्रणाली आरंभ कर मूल्यांकन और पुरस्कार कार्यों को अलग करना चाहती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि दोनों कार्य एक-दूसरे से अलग लेकिन पहुँच के अंदर हों। तदनुसार, सामान्य तौर पर, किसी भी एबी को एए और इसके विपरीत के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। हालांकि, खंड 3.4 में उल्लिखित अनुसार, जहां एक एबी को दोहरी श्रेणी के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है,, प्रशिक्षण और मूल्यांकन कार्यों की पवित्रता और अलगाव को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मापदंडों/नियमों के माध्यम से विशेष घेराबंदी (रिंग फेंसिंग) प्रदान की गई है।

v. एबी के प्रदर्शन से जुड़े वर्गीकरण

एनसीवीईटी एक विनियामक के रूप में मानकीकृत मानदंडों के माध्यम से विश्वसनीयता और गुणवत्ता का एक अवाग्डिंग पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने का प्रयास करती है जिससे एबी में सर्वश्रेष्ठ की पहचान और प्रचार हो सके। इसे एबी की जोखिम रेटिंग के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा जो एनसीवीईटी द्वारा एबी की निगरानी और मूल्यांकन का हिस्सा है। यह रेटिंग एबी के प्रदर्शन पर आधारित मात्रात्मक परिणाम संकेतकों के आधार पर की जाएगी।

<u>खंड 3: अवार्डिंग संस्थाओं (पुरस्कृत करने वाले) निकायों की मान्यता</u>

3.1. मान्यता को परिभाषित करना

एनसीवीईटी द्वारा किसी इकाई को एबी के रूप में मान्यता देने का अर्थ है कि इकाई को प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र देने के लिए अधिकृत किया गया है, जो एक अनुमोदित योग्यता के लिए प्रशिक्षण और मूल्यांकन के सफल समापन के साथ-साथ एक पुरस्कृत निकाय के ऐसे सभी अन्य कार्यों को करने के लिए है जैसा कि दिशानिर्देशों के खंड 1.2.3 में निर्दिष्ट है।

3.2. मान्यता का दायरा

i. **योग्यता:** एनसीवीईटी की मान्यता उस योग्यता के संबंध में वैधता रखती है जिसके लिए एबी ने एनसीवीईटी का अनुमोदन प्राप्त किया है

योग्यता का अर्थ मूल्यांकन और सत्यापन प्रक्रिया का एक औपचारिक परिणाम है, जो एक सक्षम निकाय के यह निर्धारित करने पर प्राप्त होता है कि किसी व्यक्ति ने निर्धारित मानकों के अनुसार अधिगम परिणाम प्राप्त किए हैं। यह परिणाम औपचारिक प्रमाणपत्र के रूप में साकार होता है

ii. **क्षेत्रीय (आंचलिक):** एनसीवीईटी मान्यता उस क्षेत्र/क्षेत्रों के संबंध में वैध है, जिसके लिए एनसीवीईटी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

क्षेत्र का अर्थ मुख्य आर्थिक कार्य, उत्पाद, सेवा या प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यावसायिक गतिविधियों का समूह है। इन दिशानिर्देशों में परिभाषित ऐसे सभी उद्देश्यों के लिए एनसीवीईटी द्वारा क्षेत्रों की पहचान और उनका सूचीकरण किया जाएगा।

iii. **प्रादेशिक (आंचलिक):** एनसीवीईटी मान्यता अधिनियम/अधिसूचना/ऐसे किसी आदेश के अनुसार परिभाषित क्षेत्राधिकार/परिचालन/क्षेत्रीय सीमाओं के संबंध में वैधता रखती है जिसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त निकाय बनाया गया था। निगमन के ऐसे किसी भी साधन की अनुपस्थिति में, एनसीवीईटी क्षमता की प्रदर्शित शक्ति के आधार पर एबी के संचालन की क्षेत्रीय सीमा का सीमांकन करेगी।

यहां क्षेत्र का अर्थ संचालन का एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसके लिए एनसीवीईटी द्वारा एक अवार्डिंग संस्था को मान्यता दी गई है।

3.3. एक मान्यता प्राप्त अवार्डिंग संस्था होने का लाभ

i. भारत सरकार द्वारा मान्यता
ii. पूरे भारत में समरूप प्रमाणन (यूनिफ़ॉर्म पैन इंडिया सर्टिफिकेशन)
iii. सरकारी वित्त पोषण के लिए पात्रता
iv. वर्धित बाजार स्वीकार्यता और मान्यता
v. दिशानिर्देशों के अनुसार एनसीवीईटी लोगो का उपयोग
vi. मानकीकृत प्रक्रियाओं और मापदंडों के माध्यम से उन्नत गुणवत्ता परिणाम
vii. स्व-नियमन के माध्यम से निरंतर सुधार

3.4. मान्यता की श्रेणियां

I. मानक मान्यता

अवार्डिंग संस्था (पुरस्कार देने वाला निकाय) प्रमाणित करती है लेकिन शिक्षार्थियों का मूल्यांकन नहीं करता है।

II. दोहरी मान्यता

अवार्डिंग संस्था (पुरस्कार देने वाला निकाय) शिक्षार्थियों का मूल्यांकन और प्रमाणन करता है।

क. दोहरी श्रेणी मान्यता के प्रकार

• जहां किसी अवार्डिंग संस्था **(**पुरस्कार देने वाला निकाय) द्वारा उसके स्वामित्व वाले परिसरों में उसकी अनुमोदित योग्यताओं के लिए सीधे प्रशिक्षण दिया जा रहा हो।

• जहां किसी एबी द्वारा उसकी अनुमोदित योग्यताओं के लिए तृतीय पक्ष एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा हो। केवल सरकारी निकाय ही इस प्रकार की मान्यता के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

ख. दोहरी श्रेणी मान्यता के अंतर्गतसंभावित मामले

• अपनी योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए दोहरी श्रेणी की मान्यता की मांग करने वाली एक मौजूदा अवार्डिंग संस्था (पुरस्कार देने वाला निकाय)।

• अवार्ड देने और मूल्यांकन कार्यों दोनों के लिए दोहरी श्रेणी की मान्यता चाहने वाली संस्था।

ग. दोहरी श्रेणी मान्यता के अंतर्गत आवेदन करने वाली इकाई द्वारा **निम्नलिखित आवश्यकताओं** को पूरा किया जाना आवश्यक है:

• कर्मियों, प्रणालियों और प्रबंधकीय नियंत्रणों का पृथक्करण
• वित्तीय संसाधनों का पृथक्करण
• स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड और बाजार प्रतिष्ठा

दोहरी श्रेणी अवार्डिंग संस्था (पुरस्कार देने वाले निकाय) के रूप में मान्यता प्राप्त निकायों को अवार्डिंग संस्था और मूल्यांकन एजेंसी के दिशानिर्देशों दोनों का पालन करना होगा। दोहरी श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने की रूपरेखा परिचालन नियमावली में दी गई है।

III. स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मान्यता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, कम उम्र में विशेष रूप से मध्य और माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने और उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण पर जोर देती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक ऐसा व्यवसाय सीखता है और कई अधिक की जानकारी रखता है।

जिन कक्षाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा अभिविन्यास या परिचय के रूप में प्रदान की जाती है, वहां एनसीवीईटी से मान्यता की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, जहां विशिष्ट कार्य उन्मुख व्यावसायिक योग्यता में प्रशिक्षण दिया जा रहा है या प्रदान करने का प्रस्ताव है, वहां संबंधित स्कूल बोर्डों को एनसीवीईटी से एबी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

हालांकि, स्कूल बोर्डों द्वारा अनुपालन की सुविधा के लिए, स्कूलों के लिए विभिन्न विशिष्ट पहलुओं जैसे आयु उपयुक्तता, सुरक्षा, संसाधन की कमी आदि को ध्यान में रखते हुए एनएसक्यूएफ मानदंडों और मान्यता दिशानिर्देशों में कुछ लचीलापन प्रदान किया जाएगा। एनसीवीईटी द्वारा मान्यता अतिरिक्त एनसीवीईटी प्रमाणीकरण; बढ़ी हुई बाजार स्वीकार्यता और मान्यता; अन्य संरेखित पाठ्यक्रमों के लिए प्रगति मार्ग जैसे लाभ प्रदान करेगी। दिशा-निर्देशों के खंड 4.2 में मान्यता की पात्रता मानदंड की प्रयोज्यता में भिन्नताओ का विस्तृत विवरण दिया गया है।

3.5. प्रक्रिया

एबी को सूची में शामिल करने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरे वर्ष खुली रहेगी। विस्तृत प्रक्रिया ऑपरेशन नियमावली में उल्लिखित है। प्रक्रिया का स्नैपशॉट नीचे दिया गया है:

मान्यता देने के बाद, एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त एबी को एक आशय पत्र (एलओआई) जारी किया जाएगा जिसमें उस क्षेत्र/क्षेत्रों और क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को दर्शाया जाएगा जिसके लिए उक्त निकाय को मान्यता दी गई है। इसके बाद मान्यता प्राप्त निकाय को एनसीवीईटी अनुमोदन के लिए अपनी योग्यता जमा करने के लिए अधिकतम 3 महीने की अवधि दी जाएगी। एनसीवीईटी के साथ मान्यता की अवधि एबी की पहली योग्यता के अनुमोदन के बाद, एनसीवीईटी और मान्यता प्राप्त अवार्डिंग संस्था के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से और लागू होगी।

टिप्पणी: जब तक एनसीवीईटी एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू नहीं करती, तब तक आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में निष्पादित की जाएगी। ऐसे मामलों में, आवेदन प्रक्रिया चरण 2 से शुरू होगी और आवेदक संगठनों को एनसीवीईटी द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन भरकर उसे एनसीवीईटी में जमा करना होगा। आवेदन पत्र और संपर्क विवरण एनसीवीईटी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे।

योग्यता की स्वीकृति:

एनएसक्यूएफ एक योग्यता आधारित कौशल ढांचा है जो ज्ञान, कौशल और योग्यता के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार योग्यता का आयोजन करता है। एनएसक्यूएफ को नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (एनसीवीईटी) में एंकर किया गया है, इसके पास योग्यता अनुमोदन का जनादेश भी है। उद्योग-उन्मुख योग्यताओं का निर्माण और उन्हें एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित करना किसी भी मान्यता प्राप्त एबी के लिए सर्वोत्कृष्ट और गैर-परक्राम्य है। एनसीवीईटी ने योग्यता के एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए मानदंड, प्रक्रियाएं और टेम्पलेट निर्धारित किए हैं जिनका पालन सभी मान्यता प्राप्त एबी द्वारा किया जाएगा। इन दिशानिर्देशों में योग्यता के अनुमोदन के लिए कोई अलग मानदंड नहीं बताया गया है।

3.6. शुल्क

अवार्डिंग संस्था के रूप में मान्यता के लिए आवेदन करने वाली इकाई को एनसीवीईटी द्वारा निर्धारित चैनल के माध्यम से रु 100000/- रुपए (अस्वीकृति के मामले में प्रतिदेय 50,000/- रुपए) की राशि जमा करनी होगी। यह शुल्क मान्यता प्रक्रिया के चरण 2 में भरे हुए आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेजों के साथ देय है।

मान्यता अवधि के 3 वर्ष पूरे होने के बाद 2 वर्षों के लिए फास्ट ट्रैक नवीनीकरण के लिए आवेदन करते समय कोई अलग शुल्क लागू नहीं होगा। हालांकि, 5 वर्ष की मान्यता अवधि पूरी होने के बाद, संगठन को शुल्क के साथ नए सिरे से आवेदन करना होगा।

3.7. अवार्डिंग संस्था (पुरस्कृत करने वाले निकाय) की मान्यता का कार्यकाल

एबी की पहली योग्यता के अनुमोदन के बाद, एबी की मान्यता और एबी दिशानिर्देशों के आदेश एनसीवीईटी और मान्यता प्राप्त पुरस्कार निकाय के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से लागू होंगे। मान्यता का कार्यकाल इस प्रकार होगा:

i. प्रारंभ में, एक एबी को एनसीवीईटी द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए मान्यता दी जाएगी।

ii. उक्त अवधि के पूरा होने के बाद, एबी फास्ट ट्रैक नवीनीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसके स्वीकृत होने पर मान्यता की मूल तिथि से 2 वर्ष के लिए मान्यता बढ़ा दी जाएगी। यह नवीनीकरण परिचालन नियमावली में विस्तृत जोखिम रेटिंग ढांचे के अनुसार एबी के प्रदर्शन पर आधारित होगा।

iii. पांच वर्ष के कुल कार्यकाल के पूरा होने के बाद, एबी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एबी को एक नया आवेदन जमा करना होगा।

(ii) और (iii) दोनों के लिए एबी को अपना आवेदन 'मान्यता अवधि के पूरा होने से 6 महीने पहले' जमा करना होगा। मान्यता प्राप्त एबी द्वारा फास्ट ट्रैक नवीनीकरण के लिए पुन: आवेदन/अनुरोध पर, मान्यता प्राप्त निकाय को मान्यता देने के विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, जब तक एनसीवीईटी द्वारा इसका विस्तार करने या बंद करने का निर्णय नहीं किया जाता है। एबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी प्रशिक्षण बैच की अवधि मान्यता अवधि से अधिक विस्तृत न हो।

3.8. निलंबन/मान्यता निरस्तीकरण

एक मान्यता प्राप्त एबी को निम्नलिखित स्थितियों में निलंबित किया जा सकता है:

क. किसी भी मान्यता प्राप्त एबी को जिसके पास मान्यता के एक वर्ष के बाद कम से कम एक सक्रिय योग्यता* नहीं है।

ख. एनसीवीईटी द्वारा जारी संचालन नियमावली में वर्णित जोखिम मूल्यांकन ढांचे के अनुसार मान्यता प्राप्त एबी उच्च जोखिम/मध्यम जोखिम श्रेणी में आता है।

ऐसे एबी को निलंबन के बाद दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा और यदि संतोषजनक पाया जाता है तो एनसीवीईटी के विवेक पर उनकी मान्यता बहाल की जा सकती है।

निम्नलिखित के परिणामस्वरूप एक अवार्डिंग संस्था की मान्यता समाप्त हो जाएगी-

i. यदि कोई भी एबी भ्रष्ट और/या कपटपूर्ण कदाचार में लिप्त साबित हुआ और परिषद द्वारा उसकी मान्यता रद्द करने के लिए अनुशंसा की जाए

ii. ऐसा कोई भी एबी जो निलंबन के 6 महीने के बाद दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहता है

** उपरोक्त के लिए एक सक्रिय योग्यता का मतलब योग्यता के अनुमानित उत्थान के मुकाबले कम से कम 25% नामांकन की योग्यता होगी*

3.9. योग्यता मानदंडों की सूची

एबी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का संज्ञान लेते हुए, पात्रता मानदंड कुछ प्रारंभिक संगठनात्मक क्षमता और प्रतिष्ठा के लिए आधार निर्धारित किए जाते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पात्रता मानदंड एबी की क्षमता में एनसीवीईटी से जुड़ी किसी भी इकाई/संगठन की उपयुक्तता और औचित्य को परिभाषित करने वाले खंड हैं। इन प्रवेश आवश्यकताओं को एनसीवीईटी से जोड़े जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के संभावित एबीज को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। एबी की मान्यता के लिए विस्तृत पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

1. कानूनी दर्जा

क. इकाई एक सरकारी संस्थान/स्वायत्त निकाय/शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय/कंपनी/गैर-लाभकारी संस्था या ट्रस्ट/सीमित देयता भागीदारी होनी चाहिए और वह भारत में उपयुक्त प्राधिकारी के साथ पंजीकृत होनी चाहिए।

ख. स्पष्ट रूप से पहचाने गए मुख्य साझेदार के साथ एक कंसोर्टियम व्यवस्था को आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। यदि किसी समय पर, प्रमुख भागीदार संघ को त्याग देता है, तो उक्त इकाई की मान्यता समाप्त हो जाएगी।

ग. संस्था के पास एक वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) होना चाहिए और उसके पास आवश्यक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण विवरण होना चाहिए।

घ. यदि कोई विदेशी संस्था एनसीवीईटी से जुड़ने की इच्छा रखती है, तो उन्हें निम्नलिखित मानदंडों का पालन करना होगा:

i. यह आवेदन भारत में पंजीकृत एक भारतीय सहायक कंपनी द्वारा किया जाना चाहिए।

ii. संस्था को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के दिशानिर्देशों और मानदंडों का पालन करना चाहिए।

ङ. संस्था को भारत सरकार के किसी निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय या किसी अन्य नियामक निकाय द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो।

च. मान्यता प्राप्त करने वाली संस्था को गैर-लाभकारी उद्यम के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए।

2. वित्तीय व्यवहार्यता

क. इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए वित्तीय व्यवहार्यता के लिए निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:

i. इकाई को कम से कम एक वर्ष के लिए परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए

ii. इकाई के पास सकारात्मक निवल मूल्य होना चाहिए

iii. इकाई की ऋण प्रतिबद्धताओं की मात्रा

ख. इकाई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास दिशानिर्देशों में निर्धारित मान्यता मानदंडों के अनुसार योग्यता प्रदान करने और उसे प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन और सुविधाएं हैं।

ग. संस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रमाणपत्र प्रदान करने का कार्य करने के लिए लेखांकन और वित्तीय निगरानी प्रणाली मौजूद है।

3. पूर्व अनुभव

क. इकाई को नीचे बताए गए "व्यवसाय" में संबद्ध होना चाहिए:

i. दिशानिर्देशों के उद्देश्य के लिए 'व्यवसाय' का अर्थ यह है कि एक इकाई कौशल योग्यता के संबंध में प्रशिक्षण वितरण के लिए प्रदर्शन करती है और/या उसके लिए जवाबदेह है। प्रशिक्षण और उससे जुड़े कार्यों की अंतिम जिम्मेदारी आवेदक इकाई के पास होनी चाहिए।

ii. इकाई को कम से कम पिछले 5 वर्ष की अवधि के लिए 'व्यवसाय' में होना चाहिए, जिसमें इकाई के संचालन के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं रहा हो।

iii. पिछले 5 वर्षों में किसी भी 2 वर्षों में, जिस अधिकार क्षेत्र के लिए वह निकाय मान्यता प्राप्त करना चाहता है, उसके क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/ मूल्यांकित किया गया होना आवश्यक है:

मान्यता मांगी गई है	न्यूनतम प्रशिक्षित या मूल्यांकित अथवा दोनों किया है**	न्यूनतम प्रशिक्षित किया है
(1)	(2)	(3)
श्रेणी 'I' राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए*	10000	5000
श्रेणी 'II' राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए *	20000	10000
पूरे भारत के लिए	1,00,000	50000

* श्रेणी 'ए' और 'बी' में राज्यों का वर्गीकरण 2011 की जनगणना के अनुसार युवा आबादी (आयु वर्ग 15-29) पर आधारित है। परिचालन नियमावली में सूची संलग्न है।

** प्रशिक्षित और मूल्यांकित आंकड़ा अद्वितीय व्यक्तियों का होना चाहिए, अर्थात् यदि एक ही व्यक्ति को प्रशिक्षित किया गया है और फिर उसका मूल्यांकन किया गया है, तो वह उसे केवल एक गिना जाएगा, दो नहीं।

iv. मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्था को अनुच्छेद (iii) में ऊपर दी गई तालिका के कॉलम (2) और (3) दोनों के अंतर्गत उल्लिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना चाहिए। केवल एक पात्रता मानदंड को पूरा करना उसे पात्र बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। केवल प्रशिक्षण का अनुभव रखने वाली संस्थाओं को उनके द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए कॉलम (2) के अंतर्गत पात्रता मानदंड को पूरा करना चाहिए।

v. एक से अधिक राज्यों के लिए आवेदन करने वाली इकाई के लिए, पूर्व अनुभव के रूप में आवश्यक प्रशिक्षण/मूल्यांकन की संख्या (आवेदित राज्यों की संख्या के अनुसार) उपरोक्त संख्याओं का योग होगी, जब तक कि संगठन अखिल भारतीय स्थिति के लिए आवेदन नहीं करता है, जिस मामले में अखिल भारतीय पात्रता मानदंड लागू होंगे।

vi. एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्था को उसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में अपना अनुभव दिखाना होगा।

vii. यह मान्यता दिशा-निर्देशों के खंड 3.2 और 3.9 में सूचीबद्ध क्षेत्र और भौगोलिक विश्वसनीयता की पूर्ति के अधीन होगी।

viii. प्रशिक्षण और मूल्यांकन व्यवसाय में शामिल संस्थाओं के लिए, यह राज्य/केंद्र सरकार या उनकी एजेंसियों/द्विपक्षीय या बहुपक्षीय एजेंसियों/बड़ी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों/बड़ी निजी लिमिटेड कंपनियों/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा में काम करने का अनुभव होना चाहिए।

ख. कुछ संभावित मामलों में एनसीवीईटी द्वारा इस मानदंड में ढील दी जा सकती है:

i. संचालित नए युग की प्रौद्योगिकी आधारित संस्थान

ii. पारंपरिक और विरासती कौशल को संरक्षित करने वाले संस्थान

iii. आला क्षेत्रों में काम कर रहे संस्थान

iv. विकलांग, महिला, सफाई कर्मचारी आदि विशेष जरूरतों वाले समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए काम करने वाली संस्थाएं।

v. कैप्टिव नियुक्ति

vi. वामपंथी उग्रवाद, उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों, जम्मू-कश्मीर आदि जैसे कठिन क्षेत्रों में काम करने वाले।

ग. यदि मूल निकाय द्वारा सहायक कंपनियों को विशेष रूप से एक अवार्डिंग संस्था होने के उद्देश्य से बनाया गया है, और सहायक का प्रबंधन नियंत्रण मूल निकाय के पास रहता है तो एनसीवीईटी के विवेक के आधार पर, सहायक कंपनियों के लिए, मूल संगठन के अनुभव पर विचार किया जा सकता है।

4. क्षेत्रीय विश्वसनीयता

क. संस्थान को उस विशेष क्षेत्र में योग्यता प्रदान करने में सहायता करने के लिए पर्याप्त क्षेत्रीय क्षमताओं का प्रदर्शन करना आवश्यक होगा।

ख. यदि उक्त इकाई एक से अधिक क्षेत्रों में प्रमाण पत्र प्रदान करना चाहती है, तो उक्त इकाई को ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विश्वसनीयता स्थापित करनी होगी जिसके लिए वह मान्यता चाहती है।

ग. इकाई को क्षेत्रीय विश्वसनीयता प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित सुनिश्चित करना चाहिए:

i. एबी की क्षमता के निर्माण में उद्योग का निरंतर समर्थन।

ii. प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के कार्य और क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए क्षेत्र के विशेषज्ञों/विषय वस्तु विशेषज्ञों/उद्योग विशेषज्ञों की उपलब्धता।

iii. एबी के संचालन - विशेष रूप से योग्यता, प्रशिक्षण वितरण, मूल्यांकनकर्ताओं और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, प्लेसमेंट, नौकरी प्रशिक्षण और शिक्षुता के निर्माण और सत्यापन में उद्योग का औपचारिक प्रतिनिधित्व। छोटे, मध्यम और साथ ही बड़े उद्योगों से गठजोड़/प्रतिनिधित्व जिसे मान्यता की अवधि के दौरान जारी रखा जाना आवश्यक है।

iv. यदि संबंधित मंत्रालय के सहयोग से इकाई को एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया जाता है तो क्षेत्रीय विश्वसनीयता भी स्थापित होगी।

5. योग्यता का निर्माण

क. एक इकाई को एबी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए इकाई को अनुमोदन के लिए योग्यता प्राप्त करना और एनसीवीईटी के समक्ष जमा करना होगा। इसलिए, एक इकाई को योग्यता निर्माण और समीक्षा से संबंधित अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए।

ख. विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को प्रमाण पत्र देने की इच्छुक संस्थाओं को योग्यता निर्मित करने की आवश्यकता नहीं है। उस स्थिति में, वे केवल निम्नलिखित मापदंडों के अधीन होंगे:

- पीडब्ल्यूडी के संबंध में बाजार की स्वीकार्यता और नौकरी के अवसरों के संबंध में उचित परिश्रम
- उन्हें पीडब्ल्यूडी आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायी होना चाहिए

6. बुनियादी ढांचा संबंधी आवश्यकताएं

क. इकाई का भारत में एक पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए और परिसर आवश्यक रूप से प्रचार संगठन (यदि कोई हो) के कार्यालय से अलग/स्वतंत्र होना चाहिए।

ख. विकास, वितरण और योग्यता प्रदान करने में सहायता के लिए इकाई के पास पर्याप्त आईटी अवसंरचना और प्रणालियां होनी चाहिए। उनके पास अन्य आवश्यक चीजों के साथ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए।

ग. कार्यालय परिसर सार्वजनिक परिवहन द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा होना चाहिए और जनता/उपयोगकर्ताओं/हितधारकों के लिए आसानी से सुलभ होना चाहिए।

घ. एनसीवीईटी में आवेदन के समय इकाई के पास एक परिचालन वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण विवरण हों:

- योग्यता/पाठ्यक्रम/प्रस्तावित पाठ्यक्रम
- एबी के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण संस्थाओं के विवरण (भौगोलिक प्रसार, संपर्क विवरण और प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की सूची)
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और मूल्यांकनकर्ताओं का प्रशिक्षण प्रशिक्षण कैलेंडर (यदि कोई हो)
- एबी की संचालन टीम के नाम और संपर्क विवरण
- मासिक और त्रैमासिक आधार पर एबी की प्रमुख उपलब्धियां
- उद्योग संबंधों पर जानकारी - उद्योग के सदस्यों का विवरण और जिस क्षेत्र से वे जुड़े हैं, उसकी मांग का एकत्रीकरण
- राज्य सरकारों के साथ संबंधों की जानकारी (यदि कोई हो)
- शिकायत निवारण तंत्र
- शासी परिषद/कार्यकारी निकाय के सदस्यों का विवरण

ङ. संस्था के पास अपने पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत कार्यान्वित प्रशिक्षण और परिणामों से संबंधित डेटा जमा करने के लिए प्रभावी, विश्वसनीय और सुरक्षित प्रणाली होनी चाहिए।

7. प्रशासन और जनशक्ति

क. अवार्डिंग संस्था के कानूनी प्रमुख/सीईओ/सीओओ और शासी परिषद/कार्यकारी समिति

i. संस्था के पास स्पष्ट रूप से परिभाषित संदर्भ शर्तों के साथ एक कार्यात्मक शासी परिषद/कार्यकारी निकाय होना चाहिए।

ii. एबी के प्रमुख को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या अंशकालिक असाइनमेंट के पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

iii. प्रमुख/सीईओ/सीओओ को अनिवार्य रूप से उसी शहर/महानगरीय क्षेत्र में रहना होगा जहां इकाई का मुख्य परिचालन कार्यालय है।

iv. प्रमुख/सीईओ/सीओओ किसी ऐसे समानांतर व्यवसाय को बढ़ावा नहीं देंगे/नहीं चलाएंगे, जिससे इकाई के एबी संचालन के साथ हितों का टकराव हो सकता है।

v. प्रमुख/सीईओ/सीओओ या किसी भी शीर्ष प्रबंधन अधिकारी को निम्नलिखित आधार पर उस भूमिका के लिए अनुपयुक्त माना जा सकता है- (क) उसके द्वारा किया गया कोई भी आपराधिक कार्य, (ख) उसने किसी अदालत या किसी पेशेवर, नियामक द्वारा आदेश जैसे किसी भी निष्कर्ष, या सरकारी निकाय कि उसने किसी कानून या किसी नियामक दायित्व के प्रावधान का उल्लंघन किया है, जिसके अधीन वह है, (ग) दिवालिएपन में कोई कार्यवाही या कोई व्यक्तिगत वित्तीय व्यवस्था जिसके वह अधीन रहा है, (घ) किसी कंपनी या सार्वजनिक कार्यालय के निदेशक पद को धारण करने की कोई अयोग्यता, या (ङ) कोई सिद्ध कदाचार या कुप्रशासन।

ख. अन्य महत्वपूर्ण कर्मचारी

i. संस्था के पास अपने संचालन के प्रबंधन के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए।

ii. इकाई के पास प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं का प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम डिजाइन और विकास, प्रशिक्षण वितरण, आईटी, व्यवसाय विकास कार्यकारी/ उद्योग इंटरफेस और राज्य की व्यस्तताओं, वित्त और प्रशासन के लिए प्रबंधक और परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ पर्याप्त टीम/व्यक्ति होने चाहिए और कार्यों के प्रबंधन के लिए जवाबदेही की पारदर्शी रेखाएं होनी चाहिए, लेकिन यह मानकों और क्यूए तक सीमित नहीं है।

iii. संस्था के पास अपने तकनीकी और फील्ड स्टाफ दोनों के लिए एक साथ एक सतत व्यावसायिक विकास ढांचा और अच्छी तरह से परिभाषित भर्ती और पारिश्रमिक नीतियां होनी चाहिए। इस इकाई को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उससे जुड़े तीसरे पक्ष इसका पालन करें।

8. तृतीय पक्ष की व्यवस्था

जहां एक संस्था किसी तीसरे पक्ष के लिए उसकी ओर से प्रशिक्षण वितरण या मूल्यांकन के किसी भी हिस्से को पूरा करने की व्यवस्था करती है, तो उनके पास निम्नलिखित प्रक्रियाएं होनी चाहिए:

क. प्रशिक्षण वितरण इकाई के साथ संबंध

प्रशिक्षण भागीदारों और प्रशिक्षण केंद्रों का समर्थन करने की एक प्रणाली का अस्तित्व, जिससे प्रमाणित हो कि वे इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए सुसज्जित हैं। एनसीवीईटी दिशानिर्देशों के अनुसार संबद्धता मानदंड विकसित करने की जिम्मेदारी एबी की होगी।

ख. मूल्यांकन एजेंसियों के साथ संबंध

एक ऐसी प्रणाली का अस्तित्व जो एए के दैनन्दिन के कार्यों की स्पष्ट रूप से चित्रित निगरानी के साथ-साथ उनकी योग्यता के गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए उपयुक्त होने का समर्थन करे। एबी अपनी योग्यता और मानदंडों की आवश्यकता के अनुसार एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त एए के पूल से एए को नियुक्त (ऑनबोर्ड) करेंगे।

9. उद्योग से संबंध

संस्था को संगठन के प्रमुख निर्णयों में उद्योग की भागीदारी का प्रदर्शन करना चाहिए।

10. व्यापक व्यापार योजना

क. यह सुनिश्चित करने के एक उपाय के रूप में कि एबी ने अपनी व्यावसायिक दूरदर्शिता के विस्तार में अनुसंधान और योजना बनाने के प्रयास किए हैं, इकाई के पास निम्नलिखित मापदंडों को शामिल करते हुए एक व्यापक व्यवसाय योजना होनी चाहिए:

i. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अंतर्निहित अनुमानों (राजस्व, शिक्षार्थियों के नामांकन आदि) के अनुमानों के विवरण सहित बाजार अनुसंधान और बजट अनुमानों के स्पष्ट साक्ष्य होना।

ii. वित्तीय, संसाधनों, तीसरे पक्ष की एजेंसियों (यदि कोई हो) और परिकल्पित व्यवसाय योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कर्मचारियों सहित उद्देश्यों और रणनीतियों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट और समयबद्ध दृष्टिकोण का निर्धारण।

iii. एक व्यापक जोखिम योजना और शमन रणनीतियों का मौजूद होना।

ख. भौगोलिक क्षमता

i. प्रस्तावित व्यवसाय योजना के अनुरूप, इकाई से अपेक्षा की जाएगी कि वह जहां प्रशिक्षण का प्रस्ताव है, उन विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण भागीदारों की नियुक्ति सहित योग्यता के लिए कार्यान्वयन योजना का विवरण प्रस्तुत करे।

ii. भौगोलिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, इकाई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास मूल्यांकन करने के लिए एए और आवश्यक मूल्यांकनकर्ता उपलब्ध हैं।

ग. योजना के संचालन के लिए इकाई के पास उपयुक्त नियंत्रण भी होना चाहिए और उपरोक्त व्यवसाय योजना के अनुपालन की जाँच के लिए एक आंशांकित निगरानी और मूल्यांकन ढांचे के साथ-साथ मौजूदा जोखिमों को कम करने के लिए अलग-अलग अधिकारियों को मान्यता दी जानी चाहिए।

11. शिकायतों का निवारण

क. इकाई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास पारिस्थितिकी तंत्र के सामंजस्य को बनाए रखते हुए गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए, एक उत्तरदायी शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। इसे ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित उपक्रम प्रस्तुत किए जाने चाहिए:

i. शिकायत निवारण समिति की स्थापना

ii. समिति में तीसरे पक्ष के मध्यस्थ/कानूनी परामर्शदाता प्रतिनिधि की नियुक्ति

iii. इकाई के भीतर और प्रशिक्षण भागीदारों और एए जैसे संबद्ध निकायों में एक पीओएसएच समिति (सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार) की स्थापना

ख. इकाई से इस संदर्भ में एनसीवीईटी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नए दिशानिर्देशों का पालन करने की अपेक्षा की जाएगी।

ग. कई हितधारकों की शिकायतों और प्रश्नों के समाधान के लिए संस्था के पास एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए।

12. दोहरी श्रेणी की मान्यता के लिए अतिरिक्त मानदंड

दोहरी श्रेणी मान्यता के अंतर्गत आवेदन करने वाली संस्थाओं को नीचे उल्लिखित 'दोहरी श्रेणी मान्यता के लिए अतिरिक्त मानदंड' के अलावा उपरोक्त अनुभाग में सभी मानदंडों का पालन करना होगा:

क. वित्तीय व्यवहार्यता: मूल्यांकन और अवार्डिंग कार्यों को पूरा करने के लिए अलग वित्तीय प्रणाली।

ख. क्षेत्रीय क्षमता: पुरस्कार और मूल्यांकन दोनों कार्यों के लिए अलग-अलग मूल्यांकन किया जाएगा

ग. अवसंरचना: अवार्डिंग और मूल्यांकन कार्य दोनों के लिए निम्नलिखित की अलग-अलग अवसंरचना सुनिश्चित की जाएगी:

i. आईटी

ii. कार्यालय परिसर - सभी परिवहन और आसान पहुंच से जुड़े हुए हों

iii. खंड 3.9 के अनुच्छेद 6 में उल्लिखित विवरण के साथ परिचालन वेबसाइट (पात्रता मानदंड)

घ. शासन और जनशक्ति: कार्यों के कर्मियों, प्रणालियों और प्रबंधकीय नियंत्रण का पृथक्करण। इस तरह का पृथक्करण इस तरह से किया जाना चाहिए कि अवार्डिंग और मूल्यांकन दोनों कोअलग-अलग व्यावसायिक इकाइयों के रूप में या स्वतंत्र विभागों के रूप में निपटान में आवश्यक संसाधनों के साथ कार्य करना चाहिए। दोहरी श्रेणी के एबी के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं को हितों के टकराव पर एक नीति बनानी होगी।

ङ. तृतीय पक्ष की व्यवस्था: दोहरी श्रेणी के एबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशिक्षण वितरण और मूल्यांकन आयोजित करने के लिए मानक प्रोटोकॉल (तृतीय पक्ष संबद्धता प्रोटोकॉल के समान) को विकसित कर उनका पालन किया जाता है।

च. उद्योग से संबंध: अवार्डिंग और मूल्यांकन दोनों कार्यों को अलग-अलग प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

छ. व्यापक व्यवसाय योजना: इसमें अवार्डिंग और मूल्यांकन दोनों कार्यों को शामिल किया जाना चाहिए जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया गया हो:

i. जहां मूल्यांकन किया जाना प्रस्तावित है, वहां मूल्यांकन के लिए कार्यान्वयन योजना का विवरण, जिसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति शामिल है।

ii. परिकल्पित व्यवसाय योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय, संसाधनों और कर्मचारियों सहित उद्देश्यों और रणनीतियों को पूरा करने के लिए स्पष्ट और समयबद्ध दृष्टिकोण का निर्धारण।

iii. व्यापार योजना के अनुपालन की जांच के लिए एक अंशाकित निगरानी और मूल्यांकन ढांचे के साथ एक व्यापक जोखिम योजना और शमन रणनीतियों का उपस्थित होना।

च. शिकायत निवारण: दोहरी श्रेणी की एजेंसियों के लिए, पुरस्कार और मूल्यांकन कार्यों दोनों के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

3.10. एबीएस की विभिन्न श्रेणियों के लिए मानदंड की प्रयोज्यता

पात्रता मापदंड	केंद्रीय मंत्रालय	राज्य विभाग	अन्य सरकारी निकाय	डीजीटी	एसएससी	कौशल विश्वविद्यालय	स्कूल बोर्ड	निजी निकाय
कानूनी दर्जा	X	X	√	X	√	√	X	√
आर्थिक व्यावहारिकता	X	X	X	X	√	√	X	√
क्षेत्रीय विश्वसनीयता	√	√	√	X	√	√	X	√
पूर्व अनुभव	X	X	X	X	X	√	X	√
योग्यता का निर्माण	√	√	√	√	√	√	X	√
बुनियादी ढांचे की आवश्यकता	√	√	√	√	√	√	√	√
प्रशासन और जनशक्ति*	√	√	√	√	√	√	√	√
तृतीय पक्ष की व्यवस्था	√	√	√	√	√	√	√	√
उद्योग संबंध	√	√	√	√	√	√	√	√
विस्तृत व्यापार योजना	√	√	√	√	√	√	√	√
शिकायत निवारण	√	√	√	√	√	√	√	√
प्लेसमेंट प्रदर्शन	√	√	√	√	√	√	X	√

* केंद्र सरकार के मंत्रालय, राज्य विभाग, अन्य सरकार। निकायों, स्कूल बोर्डों और डीजीटी को इस मानदंड के अंतर्गत निम्नलिखित मानकों से छूट दी जाएगी:

- बिना किसी अतिरिक्त जिम्मेदारी के स्पष्ट रूप से निर्धारित पूर्णकालिक कानूनी प्रमुख की

उपस्थिति

- कानूनी प्रमुख द्वारा प्रतिबद्धता (दिशानिर्देशों की धारा 3.9 के पैरा 7 के खिलाफ साक्ष्य के रूप में)
- दिशा-निर्देशों के खंड 3.9 का अनुच्छेद 7 (v)

खंड 4: निगरानी और मूल्यांकन

एनसीवीईटी सभी एबी के बीच गुणवत्ता और विश्वसनीयता के मानकों को बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए एक गतिशील और मजबूत निगरानी तंत्र को अनिवार्य करता है। किसी मान्यता प्राप्त निकाय के कार्यकाल के दौरान प्रदर्शन का निरंतर और आवधिक मूल्यांकन दोनों स्पष्ट रूप से परिभाषित मापदंडों और साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। राज्य सरकार कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एनसीवीईटी की एक महत्वपूर्ण शाखा होगी।

एनसीवीईटी निगरानी तंत्र एक परिणाम आधारित प्रणाली है जो एबी को जोखिमों की पहचान करने और सुधारात्मक कार्यों के माध्यम से उन्हें कम करने में मदद करेगी।

4.1. उद्देश्य

मान्यता प्राप्त एबी के लिए निगरानी प्रक्रियाओं के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

i. यह मूल्यांकन करना कि संगठन एनसीवीईटी के अंतर्गत किसी मान्यता प्राप्त एबी की आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रखता है या नहीं

ii. यह सुनिश्चित करना कि संबद्ध/मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा दिया गया प्रशिक्षण और प्राप्त मूल्यांकन परिणाम नियामक द्वारा निर्धारित अनुपालन और मानकों को पूरा करते हैं।

iii. यह सुनिश्चित करना कि एबी और उसके सहयोगी नैतिक रूप से काम करते हैं और शिक्षार्थियों और उद्योग भागीदारों दोनों की जरूरतों और कल्याण पर विचार करते हैं।

iv. किसी मान्यता प्राप्त एबी या उसकी तृतीय-पक्ष एजेंसियों के खिलाफ की गई किसी भी शिकायत की जांच करना, जिसे एनसीवीईटी निरीक्षण करने योग्य गंभीर मानता है।

4.2 तंत्र

एनसीवीईटी सभी एबी के बीच गुणवत्ता और विश्वसनीयता के मानकों को बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए एक कड़े निगरानी तंत्र की मौजूदगी अनिवार्य करता है। मान्यता प्राप्त एबी के लिए एनसीवीईटी द्वारा बनाई गई निगरानी प्रणाली के अंतर्निहित घटक निम्नलिखित हैं।

i. एबी की **वार्षिक समीक्षा** आयोजित की जाएगी जिसमें नियमावली के खंड 5.3 में उल्लिखित निगरानी और मूल्यांकन मानकों पर वार्षिक प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। एबी की मान्यता की तारीख से आरंभ होने वाले कार्यकाल के दौरान प्रत्येक वर्ष के पूरा होने के बाद ऐसी समीक्षा की जाएगी।

- **जोखिम मूल्यांकन ढांचा:** निगरानी मानकों के आधार पर एबी जिन जोखिम श्रेणी में आता है उसकी पहचान करने के लिए एक जोखिम मूल्यांकन ढांचा तैयार किया गया है। ऐसा वर्गीकरण एबी की मात्रात्मक जोखिम रेटिंग पर आधारित होता है और नियामक द्वारा किसी भी दंडात्मक/सुधारात्मक/पुरस्कृत कार्रवाई का आधार बनता है। उसका विवरण परिचालन नियमावली में उल्लिखित है।
- **स्व-सुधार:** जोखिम श्रेणी की पहचान के बाद, एबी से जोखिम को कम करने की रणनीति विकसित करने की उम्मीद की जाती है। ऐसी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विभिन्न स्व-सुधार योजनाओं (जैसे गुणवत्ता सुधार योजना, निवारक जोखिम योजना और सुधार, सुधार प्रगति योजना, आदि) का विकास है, जिसे एबी को अपनी जोखिम श्रेणी को ध्यान में रखते हुए तैयार करना चाहिए। यह अपनी शुरुआत के माध्यम से सुधार के विचार को विकसित करता है जिससे लंबे समय में बाहरी नियामक नियंत्रण की आवश्यकता कम हो जाती है।
- **वार्षिक समीक्षा की प्रक्रिया:** वार्षिक समीक्षा के लिए प्रक्रिया प्रवाह इस प्रकार है:

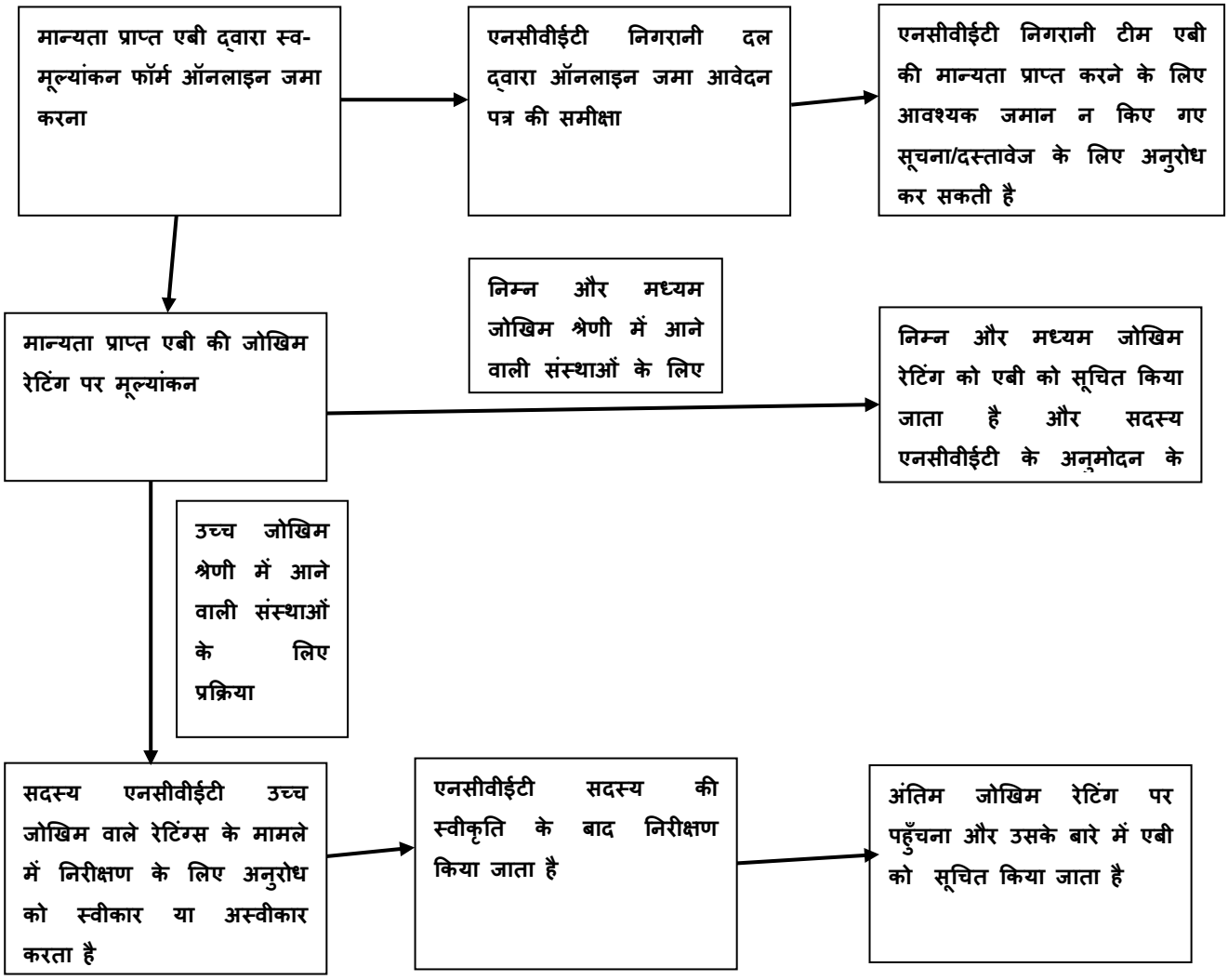

ii. मान्यता के कार्यकाल के दौरान **प्रदर्शन की निरंतर निगरानी** की जाएगी। एबी को अपने संचालन से संबंधित आईटी पोर्टल और एमआईएस विकसित करने और उसे बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ऐसे प्लेटफॉर्म की लगातार एनसीवीईटी द्वारा निगरानी की जाएगी। साथ ही एनसीवीईटी द्वारा आवश्यक होने पर एबी द्वारा सूचना/डेटा प्रस्तुत किया जाएगा। एनसीवीईटी में योग्यता अनुमोदन की प्रक्रिया, एबी के संचालन पर समानांतर जांच रखने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित साक्ष्य आधारित और प्रक्रिया उन्मुख जांच तंत्र है।

iii. स्व नियमन: एनसीवीईटी एक शिक्षार्थी केंद्रित और उद्योग संचालित नियामक के रूप में काम करने के सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहती है। एबी से एनसीवीईटी द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के व्यापक सिद्धांतों के अनुरूप अपने प्रदर्शन को स्व-विनियमन और बढ़ाने का आग्रह किया जाएगा, क्योंकि उनका उचित कामकाज देश में टीवीईटी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्कृष्ट है।

स्व-विनियमन के प्रस्तावक के रूप में, एनसीवीईटी का मानना है कि एबी को अपने संचालन और इससे संबद्ध तीसरे पक्ष के संचालन के लिए एनसीवीईटी के प्रदर्शन मेट्रिक्स के अनुरूप आंतरिक तंत्र स्थापित करना चाहिए। इसलिए, मान्यता प्राप्त एबी या इसकी तृतीय-पक्ष एजेंसियों का साइट निरीक्षण केवल आवश्यकता के आधार पर और गंभीर शिकायतों, धोखाधड़ी गतिविधियों असाधारण परिस्थितियों और मान्यता प्राप्त एबी की उच्च जोखिम वाली रेटिंग के अंतर्गत किया जाएगा।

4.3. निरंतरता मानदंड: निगरानी के लिए पैमाने

एनसीवीईटी बैनर के अंतर्गत मान्यता प्राप्त एबी और तीसरे पक्ष के संचालन में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निगरानी और मूल्यांकन मानदंड नीचे दिए गए हैं। एबी को निम्नलिखित सुनिश्चित करना चाहिए:

1. वित्तीय

i. संचालन की चल रही व्यवहार्यता

एबी को मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य के माध्यम से अपने संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करनी चाहिए

ii. वित्तीय रिकॉर्डों का रखरखाव

एबी को निम्नलिखित के माध्यम से विवेकपूर्ण और पारदर्शी रिकॉर्ड रखना सुनिश्चित करना चाहिए:

- स्थापित और स्वीकृत लेखा सिद्धांतों का अनुपालन
- व्यवस्थित बुक कीपिंग

iii.आवेदन के समय तैयार और प्रस्तुत की और उसके बाद संशोधित व्यवसाय योजना का अनुपालन।

2. संगठनात्मक

क. प्रशासन

एक एबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित मजबूत प्रशासन संरचना मौजूद है और वह निम्नलिखित के माध्यम से अपने अधिदेश के अनुसार कार्य करती है:

i. प्रबंधन संरचना समय के साथ काफी हद तक स्थिर है और नियंत्रण/स्वामित्व में किसी भी परिवर्तन की सूचना समय पर एनसीवीईटी को दी जाती है

ii. प्रबंधन

• सुपरिभाषित और पारदर्शी संगठन संरचना के माध्यम से अधिकार की रेखा स्पष्ट रूप से सीमांकित है

• प्रबंधन के पास आवश्यकता के अनुसार प्रासंगिक व्यावसायिक अनुभव है

iii. व्यापार की योजना बनाना

एबी के पास बाजार अनुसंधान, वित्तीय अनुमानों, समय-सीमा आदि को शामिल करते हुए एक अच्छी व्यवसाय योजना है

ख. मानव संसाधन

एक एबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नलिखित के माध्यम से प्रभावी और कुशल मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं का पालन किया जाता है:

i. सुदृढ़ मानव संसाधन नीति और स्टाफ नियमावली

ii. कर्मचारियों का अवधारण

iii.पर्याप्त कर्मचारी शक्ति

iv. **सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) -** संस्था के पास अपने कर्मचारियों के लिए एक सतत व्यावसायिक विकास ढांचा और सुपरिभाषित भर्ती और पारिश्रमिक नीतियां होनी चाहिए।

3. प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन

क.प्रौद्योगिकी

एबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास एक मजबूत और कार्यात्मक आईटी प्रणाली है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. **टेक प्लेटफॉर्म/पोर्टल:** प्लेटफॉर्म को परिचालन नेटवर्क में प्रशिक्षण और/या मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ii. एमआईएस

iii. वेबसाइट

iv. आईटी टीम

ख. डेटा प्रबंधन

एबी को प्रमुख विशेषताओं/घटकों के रूप में निम्नलिखित के साथ मजबूत और प्रभावी डेटा प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करनी चाहिए:

i. शिक्षार्थियों का डेटा

• मान्यता प्राप्त एबी को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाने चाहिए कि एबी द्वारा प्रदान की जाने वाली योग्यता में प्रशिक्षण लेने वाला प्रत्येक शिक्षार्थी इस तरह से पंजीकृत हो कि शिक्षार्थी को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से पहचाना जा सके।

• मान्यता प्राप्त एबी के पास किसी भी समय शिक्षार्थियों और योग्यताओं से संबंधित निम्नलिखित डेटाबेस होना चाहिए:

- प्रस्तावित योग्यता के संबंध में शिक्षार्थी का विवरण
- उस प्रशिक्षण भागीदार और प्रशिक्षण केंद्र का विवरण जहां शिक्षार्थी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- योजना का विवरण, जिसके माध्यम से प्रशिक्षण वित्त पोषित/शुल्क आधारित/सीएसआर गतिविधियां है
- आकलन विवरण
- नियोजन रिकॉर्ड

पूरे दिशा-निर्देश में सभी उद्देश्यों के लिए, प्लेसमेंट शब्द में वेतन और स्व-रोजगार दोनों शामिल होंगे।

• एनसीवीईटी शिक्षार्थियों के डेटा के भंडार को या तो अपनी इन-हाउस टीम के माध्यम से या एनसीवीईटी द्वारा अनिवार्य एजेंसी के माध्यम से बनाए रखेगा।

ii. डेटा सुरक्षा

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, मान्यता प्राप्त एबी और उसके तीसरे पक्ष की एजेंसियों के नेटवर्क को शिक्षार्थी की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। इस विषय पर सभी सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए डेटा प्रबंधन और सुरक्षा पर एक नीति तैयार की जानी चाहिए और उसका पालन किया जाना चाहिए।

4. प्रशिक्षण

क. प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ संबंध- प्रत्यायोजित विनियमन (ओएम का अनुलग्नक V)

i. किसी भी प्रशिक्षण इकाई के लिए अनुमोदित योग्यता को प्रस्तावित करने के लिए, उन्हें एबी से संबद्धता प्राप्त करनी होगी, उनके संबद्धता/मान्यता मानदंडों का पालन करना होगा और बाद में मान्यता प्राप्त एबी के साथ समझौता करना होगा।

ii. प्रत्यायोजित विनियमन की भावना को ध्यान में रखते हुए, एनसीवीईटी ने एबी के लिए संबद्धता/मान्यता प्रक्रिया के माध्यम से अपनी प्रशिक्षण संस्थाओं के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण करना अनिवार्य किया है। हालांकि, सीखने के संसाधनों की उपलब्धता, प्रशिक्षकों, बुनियादी ढांचे, उद्योग की भागीदारी, मूल्यांकन, प्लेसमेंट आदि जैसे व्यापक मानदंड एनसीवीईटी द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें अनिवार्य रूप से एबी के संबद्धता मानदंडों में शामिल किया जाना चाहिए और प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ हस्ताक्षरित समझौते में प्रतिबिंबित होना चाहिए। संचालन नियमावली में इन मापदंडों का विस्तृत विवरण किया गया है।

iii. यह सुनिश्चित करना मान्यता प्राप्त एबी की जिम्मेदारी होगी कि एबी दिशानिर्देशों के प्रासंगिक आदेश उनके प्रशिक्षण इकाई/संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से पूरे किए जाते हैं।

iv. अवार्डिंग संस्था, एबी के दिशानिर्देशों की सिफारिशों का पालन नहीं करनेवाली संबद्ध प्रशिक्षण संस्थाओं पर आवश्यक कार्रवाई कर सकती हैं।

ख. अधिगम संसाधन

एबी को आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संख्या में और स्थानीय भाषाओं में सीखने के संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए

ग. प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

i. एबी के पास समर्पित संसाधनों के साथ एक अच्छी तरह से परिभाषित टीओटी संरचना होनी चाहिए। प्रशिक्षण के निर्धारण और संचालन, प्रशिक्षण सामग्री के विकास और मास्टर प्रशिक्षकों की उपलब्धता की जिम्मेदारी एबी पर होगी।

ii. एबी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके संचालन के दायरे में आयोजित किए जा रहे सभी प्रशिक्षणों के लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षक उपलब्ध हैं।

घ. संघटन

एबी डायग्नोस्टिक असेसमेंट टूल्स के साथ एक मोबिलाइजेशन प्लान तैयार करेंगी, जिसमें तकनीक, लक्षित क्षेत्र भी दर्शाया जाएगा।

ङ. परामर्श सेवा

एबी को कार्यान्वयन स्तर पर एक प्रभावी परामर्श तंत्र स्थापित करने के लिए परामर्श दिशानिर्देशों को डिजाइन/विकसित करना चाहिए। इन दिशानिर्देशों में दर्शन, तकनीकों, प्रक्रियाओं, परामर्शदाता की योग्यता आदि का विस्तृत वर्णन करना चाहिए।

च. प्रशिक्षण अवसंरचना (जहां प्रशिक्षण सीधे एबी द्वारा दिया जा रहा है)

जबकि एक संबद्ध/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण इकाई के प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे की देखरेख एबी द्वारा (खंड 4.3 की धारा 2.5 और 4 (क) में विस्तृत प्रत्यायोजित विनियमन में विस्तृत) की जाती है, सीधे प्रशिक्षण प्रदान करने वाले एबी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास भौतिक बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षक और अन्य शिक्षण संसाधनों के संदर्भ में पर्याप्त संसाधन हैं।

5. मूल्यांकन

एनसीवीईटी मूल्यांकन एजेंसियों को 'मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देशों' के अनुसार मान्यता देगा। मान्यता प्राप्त पुरस्कार देने वाले निकाय अनिवार्य रूप से अपनी अनुमोदित योग्यता के अनुसार एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त एए के पूल से मूल्यांकन एजेंसी/संस्थाओं में शामिल होंगे। ऐसी ऑन-बोर्डिंग के लिए एबी को एनसीवीईटी के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए मानकीकृत मानदंडों का विकास और पालन करना चाहिए:

क. मूल्यांकन एजेंसियों के साथ संबंध- प्रत्यायोजित विनियमन (ओएम का अनुबंध VI)

i. प्रत्यायोजित विनियमन की भावना को ध्यान में रखते हुए, एनसीवीईटी ने एबी के लिए अपनी मूल्यांकन एजेंसियों के दैनिक कामकाज के संबंध में निगरानी और पर्यवेक्षण करना अनिवार्य किया है। हालांकि, एनसीवीईटी ने कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं, जिन्हें अनिवार्य रूप से ऐसी निगरानी में शामिल किया जाना चाहिए और एए और एबी के बीच आपसी व्यवस्था की शर्तों में प्रतिबिंबित होना चाहिए। इन मापदंडों का संचालन नियमावली में विस्तृत वर्णन किया गया है।

ii. यह सुनिश्चित करनी मान्यता प्राप्त एबी की जिम्मेदारी होगी कि एबी दिशानिर्देशों के प्रासंगिक जनादेश उनके मूल्यांकन एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से मिले हैं। इसके अलावा, निर्धारण एजेंसियों के दैनन्दिन संचालन की निगरानी की जिम्मेदारी भी एबी की होगी, जबकि एए की समग्र निगरानी एनसीवीईटी द्वारा की जाएगी।

iii. मूल्यांकन एजेंसियां, एनसीवीईटी दिशानिर्देशों की सिफारिशों का पालन नहीं करते हैं, एबी उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। गंभीर उल्लंघन के मामले में, एबी एनसीवीईटी से एए को ब्लैकलिस्ट करने और मान्यता रद्द करने की सिफारिश कर सकता है।

क. आकलन रणनीति

i. मान्यता प्राप्त एबी को एक लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जो शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए साफ और स्पष्ट नीति निर्धारित करता है। मूल्यांकन रणनीति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योग्यता के लिए उपयोग किये जाने वाले आकलन योग्यता के उद्देश्यों और परिणामों के लिए उपयुक्त हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे वैध, विश्वसनीय और निष्पक्ष हैं।

ii. एबी की मूल्यांकन रणनीतियों को परिणामों के वितरण और मूल्यांकन के लिए एक सटीक या पर्याप्त रूप से विस्तृत ढांचा प्रदान करना चाहिए।

iii. एबी की मूल्यांकन रणनीतियों को विभिन्न लक्षित समूहों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए और योग्यता में परिभाषित अधिगम परिणामों को स्पष्ट रूप से मैप करना चाहिए।

iv. एबी को, विकसित की गई प्रत्येक योग्यता के लिए एक मूल्यांकन रणनीति विकसित करनी चाहिए और विभिन्न वितरण मोड या लक्ष्य समूहों/छात्र समूहों के लिए अलग-अलग रणनीति विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, उद्योग प्रौद्योगिकी और तकनीकों, कानून और योग्यता में परिवर्तन के साथ संरेखित करने के लिए मूल्यांकन रणनीति पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए।

ख. आकलन अभिगम्यता

एबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक बैच के मूल्यांकन के लिए कम से कम दो सप्ताह पहले योग्य मूल्यांकनकर्ताओं को तैनात किया जाए।

ग. निष्पक्ष मूल्यांकन

मान्यता प्राप्त एबी को मजबूत प्रक्रियाओं और तंत्र के माध्यम से मूल्यांकन की निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए। एबी को निम्नलिखित की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सभी उचित कदम उठाने चाहिए:

i. मूल्यांकन सामग्री की सामग्री, या

ii. मूल्यांकन के बारे में जानकारी

घ. डेटा प्रबंधन और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) व्यवस्थित हैं

ङ. एनसीवीईटी द्वारा परिभाषित अनुसार, एक निर्धारित समय के भीतर सार्वजनिक रूप से सुलभ मंच पर **परिणामों की घोषणा और प्रकाशन** सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

च. मूल्यांकनकर्ताओं का प्रशिक्षण- एबी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रणाली में केवल प्रमाणित मूल्यांकनकर्ता ही काम कर रहे हैं और उन्होंने टीओए के लिए तंत्र स्थापित किया है।

6. योग्यता

क. मान्यता प्राप्त एबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योग्यताएं बाजार से संबंधित और एनएसक्यूएफ गठबंधन तथा एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित हैं

ख. समीक्षा

एबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योग्यता की समीक्षा एनसीवीईटी योग्यता अनुमोदन दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

ग. योग्यता निरस्त करना

i. मान्यता प्राप्त एबी के लिए निम्नलिखित आधारों पर एनक्यूआर से अनुमोदित योग्यता वापस लेना अनिवार्य किया जाएगा:

• योग्यता के अनुमोदन की तिथि से किसी भी समय एक वर्ष के लिए शून्य नामांकन

• एनसीवीईटी द्वारा किसी एबी की मान्यता रद्द की जा सकती है

मान्यता रद्द करने के बाद, एबी का ऐसी योग्यताएं देने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

ii. निम्नलिखिक मामलों के अंतर्गत योग्यता वापस ली जा सकती है:

• मान्यता प्राप्त एबी को तत्काल एक लिखित वापसी योजना तैयार करनी चाहिए, उसे बनाए रखना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, जिसमें यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि उस योग्यता के संबंध में शिक्षार्थियों के हितों की रक्षा कैसे की जाएगी।

• निरस्ती से जिन शिक्षार्थियों, प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य हितधारकों के प्रभावित होने की संभावना है उन्हें निकासी के बारे में स्पष्ट और सटीक जानकारी प्रदान करना।

7. उद्योग से संबंध

एक मान्यता प्राप्त एबी को निरंतर जुड़ाव के माध्यम से अपने महत्वपूर्ण कार्यों में उद्योग से समर्थन और इनपुट प्राप्त करना सुनिश्चित करना चाहिए। इस तरह के जुड़ाव की आवश्यकता वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में योग्यता, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण, शिक्षुता, प्लेसमेंट समर्थन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) और अन्य को डिजाइन और मान्य करना शामिल है।

मान्यता प्राप्त एबी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि तीसरे पक्ष की एजेंसियों के पास एक कार्यात्मक उद्योग संबंध होना चाहिए

8. समावेशिता

एक मान्यता प्राप्त एबी को हाशिए के वर्गों के लिए लैंगिक समानता और सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए

9. शिकायत निवारण और प्रतिक्रिया

क. शिकायत निवारण तंत्र

i. एबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्रता मानदंड की उसके पास धारा 4.1 (11) में परिभाषित शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है और वह कार्य करता है।

ii. एबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनसीवीईटी के व्यापक दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

iii. रिपोर्ट की गई शिकायतों को दर्ज और हल किया जाता है

iv. एबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तीसरे पक्ष की संस्थाओं के लिए ऐसा तंत्र मौजूद है

ख. प्रतिपुष्टि

प्रशिक्षुओं, नियोक्ताओं, प्रशिक्षण संस्थाओं और मूल्यांकन एजेंसियों जैसे हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को मांगने, रिकॉर्ड करने, विश्लेषण करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासित तंत्र।

10. अन्य

क. लोगो का उपयोग

मान्यता प्राप्त एबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनसीवीईटी लोगो का उपयोग एनसीवीईटी दिशानिर्देशों के अनुरूप है

ख. प्रमाणीकरण

i. मान्यता प्राप्त एबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र एनसीवीईटी द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार हैं।

ii. मान्यता प्राप्त एबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थियों को एनसीवीईटी द्वारा परिभाषित एक निर्धारित समय के भीतर प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

iii. प्रमाण पत्र सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध होना चाहिए।

iv. राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार में डिजिटल प्रमाणपत्रों का भंडारण

ग. ईमानदारी

i. मान्यता प्राप्त एबी को योग्यता के विकास, वितरण और प्रदान करने में किसी भी कदाचार या कुप्रबंधन की घटना को रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाने चाहिए।

ii. मान्यता प्राप्त एबी को संदिग्ध या कथित कदाचार या कुप्रशासन की जांच के लिए अद्यतित लिखित प्रक्रियाओं को स्थापित करना और बनाए रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

ऐसी जांच सख्ती से, प्रभावी ढंग से और उपयुक्त क्षमता वाले व्यक्तियों द्वारा की जाती है, जिनकी इसके परिणाम में कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है।

4.4. जोखिम मूल्यांकन ढांचा

विश्व स्तर पर उपलब्ध जोखिम मूल्यांकन ढांचे का संज्ञान लेते हुए, एक जोखिम मूल्यांकन मैट्रिक्स तैयार किया गया है जो निरंतरता मानदंड के 10 व्यापक शीर्षों -वित्तीय, संगठनात्मक, प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, उद्योग जुड़ाव, समावेशिता, शिकायत निवारण और प्रतिक्रिया और अन्य योग्यता के अंतर्गत मानकों के संबंध में जोखिम का आकलन करना चाहता है। मैट्रिक्स में परिभाषित मापदंडों को समय-समय पर एनसीवीईटी द्वारा संशोधित किया जा सकता है। एबी को उसके सबसे अद्यतित संस्करण का पालन करना चाहिए।

जोखिम मूल्यांकन मैट्रिक्स के दोहरे उद्देश्य हैं:

i. एक समग्र निगरानी ढांचा तैयार करना जो यह सुनिश्चित करेगा कि एबी अपनी कार्यात्मक और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

ii. एबी के नियामक मापदंडों द्वारा गैर-अनुपालन से जुड़े जोखिमों का प्रभावी ढंग से जवाब देना और मामले के अनुसार सुधारात्मक/दंडात्मक कार्रवाई करना।

निरंतर और आवधिक निगरानी के लिए जोखिम मूल्यांकन मैट्रिक्स का उपयोग किया जाएगा। मान्यता प्राप्त एबी द्वारा प्रशिक्षण और मूल्यांकन वितरण के लिए उनकी निगरानी प्रणालियों में एक समान दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। विस्तृत जोखिम मूल्यांकन मैट्रिक्स परिचालन नियमावली में उल्लिखित है।

4.5. जोखिम की रेटिंग

एबी की जोखिम रेटिंग पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित को लागू किया जाता है:

i. निरंतरता मानदंड (खंड 4.3) के प्रत्येक व्यापक शीर्ष के अंतर्गत कई मापदंडों को सूचीबद्ध किया गया है।

ii. प्रत्येक मानदंड को इसके महत्व और एबी संचालन पर प्रभाव के आधार पर एक भारिता दी गई है।

iii. एबी के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक मानदंड के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक मानदंड के लिए प्रदर्शन रेटिंग को तीन श्रेणियों - निम्न, मध्यम और उच्च में से एक में वर्गीकृत किया जाएगा। कुल जोखिम स्कोर की गणना के लिए इनमें से प्रत्येक श्रेणी (निम्न, मध्यम और उच्च) को एक संख्यात्मक मान दिया जाएगा।

उपरोक्त के आधार पर, एबी के लिए कुल जोखिम स्कोर की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

कुल जोखिम स्कोर =∑ (प्रत्येक पैरामीटर का भार x जोखिम स्कोर)

प्राप्त कुल जोखिम स्कोर के आधार पर एबी को निम्न, मध्यम या उच्च जोखिम में माना जाएगा।

4.6. जोखिम न्यूनीकरण

जोखिम न्यूनीकरण की प्रक्रिया में एबी द्वारा अपने जोखिम को कम करने के लिए लागू किए जाने वाले सुधार की रणनीतियां शामिल होंगी। एबी की प्रत्येक श्रेणी को एनसीवीईटी द्वारा निर्धारित शमन रणनीति दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों का विवरण संचालन नियमावली में उल्लिखित है।

मान्यता प्राप्त एबी का जोखिम मानचित्रण अभ्यास वर्ष में एक बार किया जाएगा। एबी के संबंध में दो कारकों- उनका जोखिम स्तर और जोखिम स्तर की घटना की आवृत्ति के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कम जोखिम के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एबी को प्रोत्साहन दिया जाएगा जबकि लगातार मध्यम या उच्च जोखिम में आने वाले एबी दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित कर सकते हैं।

तीन वर्ष पूरे होने पर, अगले दो वर्षों के लिए मान्यता अवधि के विस्तार के लिए फास्ट ट्रैक नवीनीकरण कुल जोखिम स्कोर, घटना की आवृत्ति और शमन रणनीति के कार्यान्वयन के आधार पर दिया जा सकता है, जिसका विवरण परिचालन नियमावली में दिया गया है।

4. 7. सूचना देना (रिपोर्टिंग)

एबी को एक प्रलेखित नीति बनानी चाहिए जिसमें एनसीवीईटी दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रक्रियाओं, टेम्प्लेट और चेकलिस्ट का एक सेट शामिल हो और ऐसी नीति को समय-समय पर अद्यतित किया जाना चाहिए। मान्यता प्राप्त एबी समय-समय पर और सटीक तरीके से मुख्य प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) पर डेटा और एनसीवीईटी द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले किसी भी अन्य डेटा को प्रस्तुत करेगा। एबी को अपनी तृतीय-पक्ष एजेंसियों की निगरानी की एक प्रणाली स्थापित करनी और बनाए रखनी चाहिए और उसके द्वारा आवश्यक रूप से एनसीवीईटी को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

एनसीवीईटी

कौशल गुणवत्ता प्रगति

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद

(कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय) कौशल भवन, करोलबाग

नई दिल्ली 110005

.....